न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारीः आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–132/2021 वादपत्र

उनवान

1–शंकर लाल पुत्र श्री रामचन्द्र दरोगा मुतबन्ना चांदमल दरोगा आयु वयस्क निवासी– पालड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

वादी

बनाम

1–भैरूलाल पुत्र श्री जमना लाल काबरा आयु वयस्क निवासी कृषि उपज मण्डी के पीछे, आर सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
2–कन्हैया लाल पुत्र श्री मांगी लाल दरोगा आयु वयस्क निवासी पालड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3–बंशी लाल पुत्र श्री मांगी लाल दरोगा आयु वयस्क निवासी पालड़ी, तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
4–बालू पुत्र श्री मांगी लाल दरोगा आयु वयस्क निवासी पालड़ी तहसील एव जिला भीलवाडा (राज०)
5–सुवा पुत्र श्री मागी लाल दरोगा आयु वयस्क निवासी पालडी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6–श्रीमती मोहनी पत्नी स्व० सोहन दरोगा आयु वयस्क निवासी पालड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7–शम्भू पुत्र श्री सोहन दरोगा आयु वयस्क निवासी पालड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)
9–उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा (राज०)

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 एवं 188–92 (क) रा0 का0 अधिनियम
सपठित धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट वादपत्र
घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थित :–

1– अधिवक्ता वादी श्री शोभागमल कुमावत
2– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 04 श्री भैरू लाल जी बापना

: निर्णय :

दिनांकः– 5 .08.2024

वादी शंकर लाल पुत्र श्री रामचन्द्र दरोगा मुतबन्ना चांदमल दरोगा आयु वयस्क निवासी– पालड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 22.12.2021 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88–89 188–92 (क) रा. टि.ए. सपठित

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

धारा 136 राज.लै.रे.एक्ट के तहत वादपत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा के खाता सं. 294 मे आराजी नं.1855 रकबा 0.1391 हेक्टेयर स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं.01 से लगायत 07 के नाम गलत रूप से अभिलिखित है उक्त आराजी सं.1855 वादी की पुश्तैनी कृषि आराजीयात है जो कि वादी के गोद पिता चांदमल पुत्र ओनाड़ दरोगा की होकर भू प्रबन्ध विभाग के मिलान खसरा मे भी उपकृषक का नाम चांदमल पुत्र ओनाड़ दरोगा अंकित है व कब्जा भी वादी के गोद पिता चांदमल जी का होने से नाम दर्ज किया गया । ग्राम पालड़ी के आ.न.1855 पर वादी के गोद पिता चांदमल जी काबिज थे व चांदमल के कोई जायन्दा पुत्र नही होने से वादी को उनके द्वारा अपने जीवन काल मे रीति रिवाजो के अनुसार गोद लिया गया व चांदमल जी के देहान्त के उपरान्त उनका सामाजिक क्रियाक्रम भी वादी द्वा किया गया व वादी उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज होकर उपयोग –उपभोग करता चला आ रहा है । आज भी वादी का कब्जा है उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 से लगायत 08 का कभी भी कोई कब्जा एवं दखल नही रहा है । वादी एवं उसके पिता द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने मे लाखो रूपये खर्च किये । दिनांक 10.12.2021 को प्रतिवादी सं. 01 जो कि कुछ अजनबी व्यक्तियो को लेकर मौके पर आया व मुझ वादी को जबरन बेदखल करने की कोशिश करने लगा । इस पर वादी द्वारा जानकारी की तो जाहिर आया कि जिस आराजी पर वादी का अपने गोद पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है उस आराजी को प्रतिवादी सं. 01 ने मौके पर कब्जा लिए बिना ही क्रय कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा ली जो गलत है । वादी राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करा अपने नाम दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है ।

अतः पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा के खाता सं. 294 मे अभिलिखित आ.न. 1855 रकबा 0.1391 हेक्टेयर भूमि जो कि वादी के गोद पिता चांदमल जी की है जिस पर 50–60 वर्षो से भी अधिक समय पर निरन्तर कब्जा व उपयोग उपभोग चला आ रहा है,वादी एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी व प्रतिवादी सं. 01 से लगायत 08 का नाम विलोपित कराने का अधिकारी है तदनुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 01 से लगायत 08 के विरूद्ध जारी की जावे एवं बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे की प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे । और नही किसी से करावे तथा वादी के शान्ति पूर्वक उपयोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और नही किसी अन्य से करावे ।

वादी का वादपत्र पंजीबद्ध किया प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किये,प्रतिवादीगण ने दिनांक 16.02.2022 से 05.08.2024 तक जवाब पेश नही किया । इस प्रकार करीब ढाई

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वर्ष मे भी जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगण 01 से लगायत 07 का जवाब बन्द किया गया ।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । बहस मे वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दोहराते हुए वादपत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी की घोषणात्मक डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी करायी जाने की प्रार्थना की गयी है।

वादी के वादपत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन किया गया । वादग्रस्त आराजी ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी भू.अभिलेख सांगानेर के आराजी नं. 1855 क्षेत्रफल 0.1391 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है । उक्त आराजी नं. 1855 चांदमल पुत्र ओनाड़ दरोगा के नाम से दर्ज थी । वादी के पिता का नाम रामचन्द्र दरोगा है। वादी ने चांदमल के गोदपुत्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जबकि वाद के समर्थन मे रजिस्टर्ड गोदनामा की प्रति प्रस्तुत नही की है एवं वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा होने सम्बन्धी कोई प्रमाणित साक्ष्य नही है । उपरोक्त विवचन अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नही ठहरता है । अतएव –

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 एवं 188–92 (क) रा0 का0 अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है ।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण सं. 132/2021

1-श्री शंकरलाल पुत्र श्री रामचन्द्र दरोगा मुतबन्ना चांदमल दरोगा नि.पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1- श्री भैरूलाल पुत्र जमनालाल काबरा नि.कृषि उपज मंडी के पीछे आर.सी.व्यास कोलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2- श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मांगीलाल दरोगा नि.पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
3- श्री बंशीलाल पुत्र श्री मांगीलाल दरोगा नि.पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
4- श्री बालू पुत्र श्री मांगीलाल दरोगा नि.पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
5- श्री सुवा पुत्र श्री मांगीलाल दरोगा नि.पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
6- श्रीमती मोहनी पत्नि स्व.सोहन दरोगा नि.पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
7- श्री शम्भू पुत्र श्री सोहन दरोगा नि.पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
8- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
9- उपंजीयक ,पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 -92 (क) रा.टि.ए.सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट वादपत्र घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत एवं प्रतिवादी सं.01 से 04 के अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना की उपस्थिति मे इस वाद मे आज दिनांक 05.08.2024 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया -

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89 एवं 188-92 (क) आर.टी.ए.सपठित धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है।। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा